वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु आरक्षित कक्ष क्रमांक 437, रकबा 16.372 हे. वन भूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य लिए प्रस्तावित वन भूमि रकबा 20.954 हे. के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 13 /02/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–868 बी/ 416 रायपुर, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion Land for to construct 3rd Railway line from Paniajob to Bortalao approxiate 8 km, it covers Rajnandgaon district to be used for freight and passenger services. Proposed alignment of 3rd line is a detour alignment, area – 20.954 ha. - regarding**
(पंजीयन कं. FP/CG/RAIL/48681/2020)

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 1339 दिनांक 13.02.2021

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार है:–

बिंदु क्र	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव के आरक्षित कक्ष क्रमांक 437, रकबा 16.372 हे. वनक्षेत्र एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि की पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु मांग की गई है।	1
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)–** उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/RAIL/48681/2020** आवंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 35,000/– जमा कराया गया है।	2
3	**वन क्षेत्र का विवरण–** प्रस्तावित तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है:– <table><tr><th>वनमंडल</th><th>वन भूमि (हे.)</th><th>राजस्व वन भूमि (हे.)</th><th>व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा</th></tr><tr><td>खैरागढ़</td><td>16.372</td><td>4.582</td><td>20.954</td></tr></table>	3
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में 28.495 हे. गैर वन क्षेत्र क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।	4

5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर** – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र 5–9संलग्न है।	5 – 9
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप** – एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र संलग्न है।	10
7	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव** – परियोजना की प्रशासकीय लागत 2687.00 करोड़ रू. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।	11 – 16
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप** – प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	17
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र** – उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	18
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र** – आवेदक संस्थान द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	19
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र** – इस परियोजना के लिये पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1986) के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नही है। तदाशय का आवेदनकर्ता का प्रमाण पत्र संलग्न है।	20
12	**वृक्ष विदोहन विवरण** – प्रस्तावित पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे वनक्षेत्र में 3,544 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। वृक्ष विदोहन योजना संलग्न है।	21–25
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस** – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है जो संलग्न है।	26 –48
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि–राजस्व वन क्षेत्र** – प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि प्रस्तावित नहीं है।	49
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा** – प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	50
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना**– वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दक्षिण बोरतलाब परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 437 की मांग की गई 16.372 हे. वन भूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वन भूमि कुल 20.954 हे. के एवज में दक्षिण बोर तालाव परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–465 के दुगुने बिगड़े वन भूमि में रकवा 50.00 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।	51 –57
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र** – वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ वन मेंडल के प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण बोरतालाब परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–465 में दुगुने बिगड़े वन भूमि रकवा 50.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।	58
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण** – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्य कराया है।	59
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।	60
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है इसलिए इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।	61
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र** – आवश्यकता नहीं है।	62
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान** – आवश्यकता नहीं है।	63

23	**रिक्लेमेशन प्लान** – आवश्यकता नहीं है।	64
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)** – प्रस्ताव माईनिंग से संबंधित नही है, इसलिए प्रकरण में माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	65
25	**व्यवस्थापन प्लान** – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि में किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार से आवेदित भूमि में अतिक्रमण है इसलिए व्यवस्थापन का प्रश्न नहीं है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	66
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)** – वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को किया जाकर व्यपवर्तन के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। इसी तरह भाग –3 में मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग द्वारा व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	67 – 82
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र** – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का स्थल, चिन्ह एवं मूर्ति नहीं है।	83
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – सरपंच ग्राम पंचायत पनियाजोब एवं बरनारा कला का अनापत्ति प्रमाण पत्र चेकलिस्ट क्र. 34 के साथ संलग्न है।	84
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)** – खैरागढ़ वनमंडल के कुल वन भूमि का क्षेत्र 131369.928 हे. है।	85
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में** – स्वीकृत प्रकरणों मे खैरागढ़ वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 176.428 हे. है।	86
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में** – स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के विविध प्रकरणों में खैरागढ़ वनमंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 18.101 हे. है।	87
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी** – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा हाथी कारीडोर नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	88
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन** – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. की परिधि के नक्शे में चिन्हाकन किया जाना आवश्यक नहीं है।	89
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 24.12.2020 को जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है।	90 –111
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र**– प्रकरण में प्रभावित 4.582 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु कलेक्टर जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 11.02.2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	112 –113
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र** – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	114 –115
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	116
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it** – वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा प्रदायित विस्तृत टीप में लेख है कि कक्ष इतिहास के अनुसार वन कक्ष में प्राकृतिक उत्पत्ति के अंतर्गत मिश्रित प्रजाति के वन है जिनकी श्रेणी चतुर्थ "अ" एवं घनत्व 0.5 तक है। आवेदित वन भूमि के क्षेत्र की मुदा लाल लेटेराई, समाकृति उबड़ खाबड़ एवं भौमिकी डक्कन ट्रेप है।	117
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र** – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है ।	118
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other**	119

	non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम होने के कारण आवेदक संस्थान की ओर से वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।	
41	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/– रूपये का डी.डी. आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया गया है। जिसे चालान द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाते में जमा कराया गया है। प्रति संलग्न है।	120 – 121
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरण में)–** तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य का प्रकरण खनन से संबंधित नहीं है। इसलिये वन्यप्राणी परियोजना से संबंधित अभिमत की आवश्यक नहीं है।	122
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** आवेदक संस्थान द्वारा तैयार तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण तथा मानचित्र संलग्न है।	123 से 123 D
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** प्रस्ताव में किसी प्रकार कमियां नहीं है।	124

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति मय संलग्नक
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–868 बी/ 417 रायपुर, दिनांक13 /02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता** (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़